

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दोसा)

राजा रामानन्द गौड़ सरकार बनाम राजलक्ष्मी गौड़

किस्म मुकदमा 136 LRAet v 88 RTA मु० नं० 39/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.1.21	<p>पत्रावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। कहलें के तथ्यों पर गौर किया गया।</p> <p>वाक के तथ्यों अनुसार भूपवर्ध विभाग द्वारा वादीगण की भूमि साविक ख. नं. 734 व हाल ख. नं. 493 ग्राम रामा राणोली की भूमि नम्बरा हेस में कम कर दी गयी जबकि प्रति. सं. 4 ताठ के ख. नं. 494 में कहा दी गयी। प्रतिवादीगण 4 ताठ वाकबूट नोटिस उपस्थित नहीं आये।</p> <p>जवाब स्टेट अनुसार भूपवर्ध विभाग द्वारा ख. नं. 493 की भूमि की नम्बरो में कम दर्शाया है जबकि प्रति. 4 ताठ के साविक ख. नं. 735 के मुकाबले नये ख. नं. 494 में दर्शाया।</p> <p>नम्बरो में ज्यादा दर्शाया है।</p> <p>अतः ख. नं. 494 के नम्बरा में साविक ख. नं. 735 के मुकाबले आधी दर्शायी गयी भूमि का वादीगण के ख. नं. 493 (साविक ख. नं. 734) में तरसीम करने के आदेश।</p> <p>उक्त उपवर्धकार वहराण्डा को दिये जाते हैं। उपवर्धकार का जवाबदाग निर्णय का शाग रहेगा।</p> <p>निर्णय आज दि. 21.1.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

(राजलक्ष्मी गौड़)
 उपखण्ड अधिकारी - 21
 सिकराय जिला-दोसा

